।। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल, आर०ए०एस०

कैम्प – ग्राम पंचायत जाजोर

राजस्व अपील सं० 5/ /2021 तारीख रज्जू : 14.12.2021

01– रामावतार पुत्र हीरालाल जाति कुम्हार (प्रजापत) निवासी ग्राम जाजोर तहसील व जिला अलवर –प्रार्थी

बनाम

01– तहसीलदार (भूमिधारी) अलवर –अप्रार्थी

–: निर्णय :– दिनांक: 14.12.2021

प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि यह प्रार्थनापत्र ग्राम पंचायत चिकानी तहसील व जिला अलवर के निर्णय दिनांक 22.12.1999 इंतकाल संख्या 227 के विरूद्ध पेश किया है। प्रार्थी की आराजी ग्राम चिकानी तहसील अलवर में स्थित है। हीरालाल पुत्र धाधू का स्वर्गवास हो जाने पर विरासत इंतकाल ग्राम पंचायत चिकानी द्वारा दर्ज व मंजूर किया गया है। हीरालाल का जो सजरा इंतकाल में अंकित किया गया है उसमें रामू पुत्र हीरालाल अंकित है। जिसे प्रार्थी रामू के स्थान पर रामावतार दुरूस्त कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये।

पत्रावली प्रशासन गॉवों के संग अभियान–2021 में कैम्प ग्राम पंचायत जाजोर में पेश हुई। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में अपना स्वयं का नोटेरी से तसदीकशुदा शपथपत्र किया तथा फोटोप्रति आधार कार्ड मुकेश पुत्र हीरा लाल, रमेश पुत्र हीरालाल पेश कर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी का नाम रामू के स्थान पर रामावतार दुरूस्त करने का निवेदन किया।

पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को अपील मानते हुए निर्णय दिया जा रहा है। उक्त अपील में मियाद अधिनियम की धारा 5 का

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

प्रार्थनापत्र पेश नही किया गया है। अपीलाण्ट ने मियाद को कन्डोन करने की प्रार्थना की। अपीलाण्ट की प्रार्थना उदारतापूर्वक स्वीकार की जाकर जो समय अपील करने में निकला है उसे कन्डोन करते हुए अपील मियाद में स्वीकार की जाती है। अपीलाण्ट रामावतार पुत्र हीरालाल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात तसदीकशुदा शपथपत्र, फोटोप्रति आधार कार्ड मुकेश पुत्र हीरा लाल, रमेश पुत्र हीरालाल तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात फोटोप्रति आयकर विभाग (पेनकाड), निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचानपत्र व आधार कार्ड पर मनन करने पर एवं कैम्प में उपस्थित वारिसान को कोई एतराज नही होने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत चिकानी के निर्णय दिनांक 22.12.1999 इंतकाल संख्या 227 में अंकित रामू के स्थान पर रामावतार दर्ज करने के नायब तहसीलदार बहादरपुर को आदेश दिये जाते है शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी। मुताबिक निर्णय राजस्व कागजातमाल में अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2021 को लिखाया जाकर कैम्प ग्राम पंचायत जाजोर में मजमेआम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उप खण्ड अधिकारी
अलवर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)